

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़ दिनांक -09.07.2026

एसओजी/सर्विलांस व कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर अनावरण कर अभियुक्त के कब्जे से 04 चूड़ी पीली धातु व 02 जंजीर पीली धातु व 03 अंगूठी पीली धातु व 01 जोड़ी झुमकीदार कुण्डल पीली धातु व 01 काले मोती की माला में लगा एक पेण्डल पीली धातु(कीमत करीब 15 लाख रुपये) सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर श्री युमना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 216/2026 धारा 305ए बीएनएस का अनावरण के क्रम में दिनांक 08.07.2026 को कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त निकित यादव पुत्र राजवीर उर्फ पप्पू यादव निवासी ग्वालटोली कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 04 चूड़ी पीली धातु व 02 जंजीर पीली धातु व 03 अंगूठी पीली धातु व 01 जोड़ी झुमकीदार कुण्डल पीली धातु व 01 काले मोती की माला में लगा एक पेण्डल पीली धातु बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.निकित यादव पुत्र राजवीर निवासी ग्वालटोली थाना कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 07.07.2026 को मुकदमा वादी उ0नि0 शुभम त्रिवेदी के सरकारी आवास से वाइस्ता निकित यादव द्वारा आभूषण (03 अंगूठी सोने की, 02 चैन सोने की, 01 मंगलसूत्र सोने का, 04 कंगन सोने के, 01 जोड़ी कुंडल,) व 10,000/- रुपये चोरी करने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु0अ0सं0 216/2026 धारा 305ए बनाम निकित यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम द्वारा 24 घण्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण कर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त निकित यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 04 चूड़ी पीली धातु व 02 जंजीर पीली धातु व 03 अंगूठी पीली धातु व 01 जोड़ी झुमकीदार कुण्डल पीली धातु व 01 काले मोती की माला में लगा एक पेण्डल पीली धातु बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 04 अदद चूड़ी पीली धातु
2. 02 अदद जंजीर पीली धातु
3. 03 अदद अंगूठी पीली धातु
4. 01 जोड़ी झुमकीदार कुण्डल पीली धातु
5. 01 काले मोती की माला में लगा एक पेण्डल पीली धातु

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निकित यादव उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 86/2023 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़
2. मु0अ0सं0 329/2023 धारा 504/506 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़
3. मु0अ0सं0 472/2023 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली फतेहगढ़
4. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली फतेहगढ़
5. मु0अ0सं0 216/2026 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक तेज सिंह
2. उ0नि0 प्रमोद कुमार
3. का0 सचिन
4. का0 विशाल सिंह

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम-

1. प्रभारी उ0नि0 संत कुमार
2. हे0का0 करन
3. हे0का0 तेजप्रताप सिंह
4. का0 धर्मेन्द्र सिंह
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 विकास चंद्र

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस टीम-

1. हे0का0 संदीप सिंह
2. का0 राहुल शर्मा
3. का0 अरविन्द चाहर

मीडिया सेल फतेहगढ़।

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दि0-09.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त टीटू उर्फ सुल्तान गुप्ता पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी नीब करोरी कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स०-270/2001 वाद संख्या 03/2002 प्रकीर्ण वाद संख्या 1191/206 धारा 392 भादवि कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-03 / डकैती कोर्ट द्वारा दिनांक 09.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 1000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री अनुज प्रताप सिंह



को० मो० - का० बन्टी कुमार



पैरोकार- का० सुमित राठी

कोतवाली कायमगंज

दि०-09.07.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त शिवजी पुत्र रामदास निवासी ज्यौनी कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु०अ०स०- 198/2020 वाद संख्या 1079/2020 धारा 304/504 भादवि कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय डीजे कोर्ट द्वारा दिनांक 09.07.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया गया।



डीजीसी-श्री सुदेश प्रताप



एडीजीसी-श्री पंकज कटियार



को० मो० - हे० का० सुदेश कुमार



पैरोकार- का० श्रीकृष्ण



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-09.07.2026

कोतवाली फर्रुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त गण संजीव , दिलीप पुत्रगण तुलाराम निवासी सिमित सुमाल कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 - 768/2018 वाद संख्या 85/2018 धारा 354,323,506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ पर पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 09.07.2026 को अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 04-04 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 14000/- 14000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



को0 मो0 मा0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार